





(14) गैर-सरकारी संगठन :-

जनहित के उद्देश्य से प्रेरित हैं। अलाभकारी निज संगठन होते हैं जो अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। उदा. आदिश विद्या एवं अन्य कंपनियों। व्यक्तिगत रूप से चलाये गये संगठन (क) GOONS

(10) राज्य का महाधिपक्षता :-

राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, यह विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है।

4 (2)

(A)

वित्तीय आपात :-

संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की प्रावधान किये गये हैं जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि राष्ट्र में वित्तीय अस्थिरता एवं शांति के खतरा पैदा हो गया है। तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

प्रभाव :-

- (1) राष्ट्रपति को छोड़कर सभी प्राधिकारियों के वेतन कोटा जा सकते हैं।
- (2) उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती
- (3) संघित निर्धारित से धान निकासी का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
- (4) धान विद्ये पर राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जा सकता है।



Subject \_\_\_\_\_

2(B)

की निष्पत्ता सुनिश्चित करने के साधन हैं।  
CAG

राष्ट्र राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है।  
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम - 1953 में CAG  
की निष्पत्ता सुनिश्चित करने के साधन किये गये हैं  
जो इस प्रकार हैं।

① उसके समस्त वेतन अन्तर्गत अर्जित निधि पर वारंट होते हैं।

② वह CAG पद के अतिरिक्त कोई भी लाभ का  
पद धारित नहीं कर सकता एवं सेवा प्रचार भी  
वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई  
पद धारित नहीं कर सकता।

③ राष्ट्रपति द्वारा उसे उसी विधि से हटाया जाता है  
जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये  
अप्रयोग में लाई जाती है।

2(C)

स्व-सहायता समूह की विकासत्मक गतिविधियों में भूमिका है  
इस स्व-सहायता समूह एक समान सामाजिक न्यायिक परिस्थि-  
तियों वाले निम्न लोगो का समूह होता है। इसकी विकासत्मक  
गतिविधियाँ इस प्रकार हैं -

- ① निर्धनों का जीवन स्तर ऊँचा करने के अरसक स्यास करना
- ② छोटी बच्चों से लाभ कमाने हेतु प्रेरित करना
- ③ स्वरोप्यगार बढ़ाना
- ④ महिलाओं की सहभागिदारी बढ़ाकर → महिला सक्रियकरण करना
- ⑤ बैंकिंग, गति विधियों को बढ़ावा देना
- ⑥ सामाजिक निर्धनों हेतु प्रशासनीय नीतियाँ बनाना। अर्थात्



Subject

2(E) भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान हैं यह अधिनियम वरुध में भारतीय संविधान का आधार था।

इसके प्रावधान निम्न लिखित हैं :-

1) अपिल भारतीय संघ है।  
 11 डि विवा तालो + 6 चीफ कमिश्नर हैंगे + देशी रिफारमते (जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित होना चाहे) का निर्माण करना।

- तालो के लिये संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था विषयो को सूची में विभक्त करना

2) केन्द्रीय - 59 विषय  
 राज्य - 54 विषय  
 समवर्ती - 36 विषय } कानून बनाने के अधिकार

3) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश

4) मौलिक स्वायत्ता है हैच वासन समाप्त कर डे स्वतंत्र घोषित करना

5) केन्द्र में हैच वासन लागू करना।

2(F) संविधान में संशोधन के संघ अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है

उच्चतम न्यायालय की व्याख्या में संशोधन विद् है कि यह संविधान का सौकर है संविधान के मूल दौपे में संसद द्वारा परिष्करण करने पर यह निरोधात्मक उपाय करना है।

केशवानंद आरती काद है 1973 है

→ (भूमिका में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 में अनुसुधार कानूनों को लागू करने के लिये प्रती अनुसुची की अवलया की गई थी जिसे अंतर्गत इसमें सम्मिलित कारणों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।



Subject \_\_\_\_\_

ऐसे में इस वाक के माध्यम से एक अश्वत्थ्व निष्पत्ति लिया गया जिसमें संविधान का खटाया परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

② संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत संविधान को हिरट कर सकते हैं।

③ न्यायलय यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

2(G) संविधान में संशोधन के तत्व हैं -

① एकल नागरिकता। -

② सर्वोच्च न्यायलय एवं राज्य उच्च न्यायलय का संघर्ष -

③ शक्तियों का विभाजन ~~केन्द्र के पास में~~   
 केन्द्र के पास में

④ उच्च सदन राज्यसभा का होना।

⑤ लिखित सर्वोच्च संविधान।

⑥ संशोधन काली में राज्यों का महत्व।

⑦ संघटनकाल में प्रजात्मक रूप।

⑧ राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार। ~~आदि।~~



Subject \_\_\_\_\_

- 2 (H) अधिसैनिक बलों की भूमिका :-  
भारत में पारंपरिक रूप में अधिसैनिक बलों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया है।
- ① भारतीय तटरक्षक बल ② असम राइफल ③ स्पेशल फोर्स।
  - ④ [CISF, BSF, ITBP, CRPF, NDL, राष्ट्रीय राइफल] :-  
ये ① CISF → केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट, एवं अन्य कंपनी के अधीन सुरक्षा के इंतजाम करते हैं।
  - ② ISB -
  - ③ BSF - सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
  - ④ भारतीय तटरक्षक - नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
  - ⑤ ITBP - भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात बल है।
  - ⑥ असम राइफल - असम में AFSPA को लागू करने के लिये असम सुरक्षा बल है। आदि।

2 (H) लोकतांत्रिक के चौथे स्तंभ के सम्मुख चुनौतियाँ :-

लोकतांत्रिक के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को माना गया है। इसका महत्वपूर्ण कार्य (कार्यपालिका) विधायिका, न्यायपालिका आदि के द्वारा लिये गये निर्णयों को सुनिश्चित कर जनता के समक्ष रखना होता है। इसके समक्ष चुनौतियाँ इस प्रकार हैं :-

- ① वर्तमान समय में धार्मिक अंधविश्वास एवं व्यवसायिकता की प्रवृत्ति ने मीडिया को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है।
- ② केन्द्र / पीठ परकाशिका के रूप में मीडिया अनेक आचरण भी कर रहा है।



Subject \_\_\_\_\_

③ TRP (Television Rating Program) के कक्ष में नई स्थिति को जन्म दिया है जिससे वह मुख्य कर्तव्य से अलग सा रहा है। मीडिया की सार्व के लक्ष्य रखने के लिये उसके निवारक उपायों की आवश्यकता है।

④ राजनीतिक हस्तक्षेप का खतना। संसद के दलों का मीडिया के तर्जनि पर कबल करना।

2(5) ~~संसद~~ संविधान का कनिष्ठा हाँचा है

भारतीय संविधान का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा है।

संविधान का मूल हाँचा प्रभावना में परिलक्षित होता है।

जिसमें ① जनता की संतुष्टता

② समाप्पवाद

③ प्रबलित प्रभुत्व संघ

④ लोकतांत्रिक

⑤ पंथ निरपेक्ष

⑥ समानता, वैधुत्व आदि सङ्गुतों पर आधारित

है, इसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो कि न्यायलय में कुर्तली योग्य नहीं है।

- वही दूसरी ओर नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों के रूप में किया गया है।

- राज्यों के नागरिकों के प्रति कर्तव्य नीति निर्देशकों के रूप में किया गया है।